

208 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी

24 के आवक लगाई गई बाद-बाद प्रियाज

लगाव के बावजूद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी

न्यायालय में दाखिल प्रती होने पर प्राचीन
 का आवेदन अन्तर्गत धारा 36 मु. सभद्व
 अधिनियम का प्रथम दायरी प्रथम परीक्षा
 खातिल किया जाना है पत्रावली के लक्षण
 धारा 36 मु. सभद्व से धारा 36 मु. सभद्व

